न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 159 /2021

1. कुम्भाराम पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. छैलाराम पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. ईशरराम पुत्र श्री देवाराम
2. सुरेश उर्फ श्रवण कुमार पुत्र श्री ईशरराम
3. भानु प्रताप पुत्र श्री ईशरराम
4. रामचन्द्र पुत्र श्री ईशरराम
5. जेठाराम पुत्र श्री ईशरराम
6. बस्तीराम पुत्र श्री ईशरराम
7. रूपाराम पुत्र श्री ईशरराम

जाति जाट निवासीगण चक 5 एसजेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

8. उप–पंजीयक खाजूवाला।
9. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला। ....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी का कथन है कि विवादित जमीन उसके पिता अप्रार्थी संख्या एक ईशरराम के नाम दर्ज है प्रार्थी के मुताबिक यह जमीन पैतृक संपत्ति है और आज से कुछ 6 महीने पहले मौखिक बंटवारे के जरिए इस जमीन का 1/8 –1/8 हिस्सा प्रार्थीगण को दिया गया था। प्रार्थीगण के पिता बुजुर्ग हो चुके हैं। अप्रार्थी संख्या 2 और 3 उनकी उम्र का फायदा उठाकर इस जमीन का बेचान करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अर्ज किया गया है कि विवादित भूमि के रिकॉर्ड और मौका के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया जाए।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है कि विवादित जमीन ईशरराम को जरिए आवंटन प्राप्त हुई है। इसलिए यह जमीन स्वअर्जित संपत्ति है इसके अलावा इस जमीन के संबंध में इसी प्रकार का मौखिक बंटवारा नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के नाम से क्रमशः 18 और 15 बीघा जमीन दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित जमीन को प्रार्थी संख्या दो और तीन के नाम गिफ्ट करवाया गया है। उस गिफ्ट डीड का इंतकाल रोकने के लिए बदनियति से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर गौर किया गया। अदालत की राय है कि इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया जाना जायज नहीं है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 9 तथा धारा 54 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है की मौखिक बंटवारे की बुनियाद पर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा अपनी प्लीडिंग्स में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह जाहिर हो कि विवादित जमीन पुश्तैनी जमीन है। इसलिए अदालत का मानना है कि रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सुने इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:16:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)